भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1849
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तिरुवनंतपुरम और सऊदी अरब के बीच उड़ान सेवा

1849. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब के 'जनरल अथॉरिटी ऑफ़ सिविल एविएशन' (जीएसीए), सऊदी अरब या 'सऊदी अरेबियन एयरलाइंस' (सऊदिया) से तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (टीआरवी) को वर्तमान भारत-सऊदी अरब हवाई सेवा करार के अंतर्गत 'पॉइंट ऑफ़ कॉल' (पीओसी) के रूप में निर्धारित करने के लिए कोई प्रस्ताव या अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और स्वीकृति दिए जाने में विलंब के कारण क्या हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए नियत की गई संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या तिरुवनंतपुरम को अतिरिक्त 'पॉइंट ऑफ़ कॉल' बनाने के लिए वर्तमान द्विपक्षीय सीट अधिकार में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों को हो रही समस्याओं को देखते हुए तिरुवनंतपुरम और रियाद के बीच सऊदिया या किसी योग्य भारतीय एयरलाइन द्वारा सीधी हवाई सेवा पुन: शुरू किए जाने पर विचार करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): सरकार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (टीआरवी) को पॉइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में नामोदिष्ट करने के लिए सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (जीएसीए) से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में, भारत सरकार भारतीय वाहकों द्वारा या तो सीधे अथवा अपने स्वयं के घरेलू परिचालनों से होकर गैर-महानगरीय प्वाइंट्स जिनमें तिरुवनंतपुरम भी शामिल है, से अधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को बढ़ावा देती है। तदनुसार, सऊदी वाहकों सहित किसी भी विदेशी वाहक को हवाई सेवा समझौतों (एएसए) में नए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में गैर-मेट्रो प्वाइंट प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।

एयरलाइनों के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भारत और संबंधित देश के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते द्वारा शासित होते हैं। हवाई सेवा समझौते के अनुसार, भारतीय नामोदिष्ट वाहक आपसी सहमति से तय क्षमता सीमा के अनुसार तिरुवनंतपुरम सहित भारत में किसी भी प्वाइंट से रियाद जैसे विदेशी गंतव्यों के लिए परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान किया है, लेकिन यह एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। भारत में किसी भी प्वाइंट से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत, यात्री मांग, स्लॉट की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर रहते हुए अनुसूचित एयरलाइनों का पूरी तरह से एक वाणिज्यिक निर्णय है।
